विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2019/1033 दिनांक : 10-05-19

प्रति,

प्राचार्य,
श्री गुरू सांदीपनि गर्ल्स इन्स्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,
ग्राम–सुरासा, आगर रोड़,उज्जैन।
उज्जैन।

विषय :– विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं आवेदित पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता/सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :– महाविद्यालय का आवेदन क्रमांक/REN65600698,दिनांक 30.01.2019

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत महाविद्यालय की सम्बद्धता नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/संबद्धता–निरंतरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा 09.05.2019 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा वर्तमान में धारा 52 प्रभावशील होने से परिनियम क्रमांक 27(संशोधित) की धारा 10(7) के प्रावधानान्तर्गत गठित संकायाध्यक्षों की समिति की बैठक दिनांक 10.05.2019 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें समिति द्वारा अनुशसा की गई कि,''श्री गुरू सांदीपनि गर्ल्स इन्स्टी. ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,उज्जैन में सत्र 2019–20 में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं बी.कॉम.(प्लेन)(सीट संख्या 60) एवं बी.एससी.(प्लेन/माईक्रोबॉयोलॉजी,भौतिकी,प्राणिकी,बॉयोटेक्नोलॉजी,रसायन,कम्प्यूटर विज्ञान,गणित)(सीट संख्या 60–60प्रत्येक हेतु)पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा मान्य की गई तदनुसार महाविद्यालय को सत्र 2019–20,में महाविद्यालय की सम्बद्धता एवं उपरोक्त पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता दो माह में निरीक्षण समिति द्वारा इंगित की गई कमियों की पूर्ति करने की शर्त पर सशर्त प्रदान की जाये एवं दो माह पश्चात पुनः महाविद्यालय का निरीक्षण करवाकर पुनः प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाये।'' समिति द्वारा की गई अनुशंसा को माननीय कुलपतिजी द्वारा अनुमोदित किया गया।

अतः उक्त महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रम की अस्थाई सम्बद्धता–निरंतरता सत्र 2019–20 से प्रदान की जाती है :–

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01.	बी.कॉम.– (प्लेन)	60
02.	बी.एससी.– (प्लेन/माईक्रोबॉयोलॉजी,भौतिकी,प्राणिकी,बॉयोटेक्नोलॉजी,रसायन, कम्प्यूटर विज्ञान,गणित)	60–60 प्रत्येक हेतु

शर्ते :–01. माईक्रोबॉयालॉजी, बॉयाटेक्नोलॉजी,एवं कामर्स पाठ्यक्रम के अध्यापन हेतु परिनियम क्रमांक 28 के अन्तर्गत शिक्षकों का चयन करवाया जाये।

02. प्रति विषय की 25–25 नवीन पुस्तकें क्रय की जाये।
03. भवन का रख रखाव ठीक किया जाये। अलमारी क्रय की जाये।
04. प्रयोगशालाओं का उन्नयन करवाया जाये।
05. कम्प्यूटर सेट अपग्रेड किया जाये।
06. दिव्यांग छात्रों हेतु सुविधा की जाये।

* **उपरोक्त कमियों की पूर्ति दो माह में आवश्यक रूप से पूर्ण करने के उपरांत विश्वविद्यालय से संपर्क कर महाविद्यालय का अनिवार्य रूप से पुनः निरीक्षण कराये अन्यथा सम्बद्धता पर पुनःविचार किया जावेगा।**
* **आगामी सत्र में उपरोक्त पाठ्यक्रम की आगामी कक्षा की सम्बद्धता हेतु आवेदन मय शुल्क सहित एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से निश्चित समयावधी में करें।**

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरंतर...02

दिनांक : 10-05-19

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2019 / 1034

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त,उच्च शिक्षा विभाग,म.प्र.शासन,भोपाल।
2. क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,उज्जैन संभाग,उज्जैन।
3. निदेशक,महाविद्यालयीन विकास परिषद,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
4. प्राचार्य,शा.कालिदास कन्या स्नातकोत्तर(अग्रणी) महाविद्यालय,उज्जैन।
5. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव,परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
6. प्रभारी,ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन।
7. प्रभारी कम्प्यूटर सेंटर की ओर प्रेषित कर सूचित है कि,उक्त पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
8. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक,विक्रम विश्वविद्यालय,उज्जैन। की ओर सूचनार्थ।

सहायक कुलसचिव(अकादमिक)